(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 13 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 50

बउनवान

1. विरेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण जाति राव निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. छीतरलाल पुत्र श्री गणेश जाति बैरवा निवासी पतल्या तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
3. मोहनलाल पुत्र श्री गणेश जाति बैरवा निवासी पतल्या तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
4. रामबाबू पुत्र श्री गणेश जाति बैरवा निवासी पतल्या तहसील अटरू जिला बारां (राज.) (मृतक)

4 / 1 रिंकू पुत्र श्री रामबाबू जाति बैरवा निवासी पतल्या तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

4 / 2 विशाल पुत्र श्री रामबाबू जाति बैरवा निवासी पतल्या तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. रीना पत्नि श्री मुकुटमणी मरमिट जाति बैरवा निवासी बगली तहसील अटरू जिला बारां(राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज.)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट, 1955 प्रकरण संख्या 07 / 2023 मे पारित निर्णय दिनांक 31.07.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :–	1– श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक	(अपीलांटगण)
	2– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक	(रेस्पो. क्रम 01)
	3– पेरोकार सरकार	(रेस्पो. क्रम 02)

निर्णय दिनांक 31.07.2025

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 07 / 2023 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान रीना बनाम विरेन्द्र वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 31.07.2024 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 10.06.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पो. क्रम 01 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पो. क्रम 02 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाके ग्राम महेशपुरा की आराजी खाता संख्या 85 खसरा नं0 42 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता 01 वर्तमान रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि [illegible] 01 के खाते में दर्ज है, जो पूर्व में बलराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल के नाम द[illegible] मूल रूप से उक्त भूमि बलराम को भू–आवंटन के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में आई है। [illegible] भूमि कांकड़ है जो ग्राम पतल्या व महेशपुरा के बीच का भाग है, जो [illegible]–जाने के काम व कृषि [illegible] लाने–ले जाने के काम नियमित रूप से आता रहा है। उक्त भू[illegible] बलराम का कभी को[illegible] नहीं रहा है तथा आवंटन हुए भी लगभग 25–30 वर्ष हो चुके है तथा आवंटी के द्वारा अपीलांटगण को बेदखल करने के लिए कोई वाद या कार्यवाही पूर्व में कभी नहीं की गई है। उक्त भूमि के पास अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि स्थित है जिस पर होकर वह अपने कृषि साधन व आना–जाना के काम आती है। उक्त भूमि पर पूर्व खातेदार बलराम का कभी कब्जा नहीं रहा है। बलराम के द्वारा उक्त भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2019 को रेस्पो. क्रम 01 के नाम हस्तांतरण की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:46:41 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट क्रम 04 की मृत्यु दिनांक 11.06.2021 को हो चुकी थी, परंतु रेस्पो. क्रम 01 द्वारा जो कार्यवाही की गई, वह वर्ष 2021 के बाद दिनांक 16.08.2023 को की गई है तथा उसका निर्णय दिनांक 31.07.2024 को किया गया है। उक्त पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों के अनुसार अपीलांट क्रम 04 उस समय मृत व्यक्ति था, मृत व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित बताकर कैसे निर्णय किया गया, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन निर्णय मौन है तथा मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी न्यायालय किसी भी प्रकार का कोई निर्णय उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये बिना नहीं दे सकता। इस प्रकार पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों को साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को न तो कोई सुनवाई का अवसर दिया और न हीं उनके नाम किसी प्रकार के नोटिस जारी कर उनको उचित जवाब पेश करने का अवसर दिया और किसी व्यक्ति के विधिक प्रावधानों के अनुसार बयान आदि भी नहीं लिये गये। रेस्पो. क्रम 01 को जिस विक्रय पत्र के माध्यम से कब्जा देना लिखाया गया है वह मात्र एक नुमाईशी विक्रय पत्र है क्योंकि उक्त विक्रेता बलराम पुत्र रामकरण का उक्त आराजी पर पिछले 25 वर्षों से कभी कब्जा नहीं रहा है। इसलिए उसके खातेदारी अधिकारों का अवसान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हो चुका है। उक्त विक्रेता बलराम को कोई अधिकार मौजूदा कानून के अनुसार शेष नहीं रहते है तथा उक्त विक्रय पत्र मात्र एक नुमाईशी विक्रय पत्र है, जिसके आधार पर रेस्पो. क्रम 01 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटगण को तब हुई जब हल्का पटवारी ने अपीलांटगण को यह आकर बताया कि इस आराजी के संबंध में तहसीलदार, अटरू द्वारा निर्णय पारित कर उक्त खसरा नं. 42 रकबा 0.55 हेक्टर पर रीना को कब्जा देने का आदेश दिया है तो अपीलांटगण के द्वारा तहसील कार्यालय, अटरू में जाकर तलाश किया तथा दिनांक 30.05.2025 को उक्त अपीलाधीन आदेश को प्राप्त करने हेतु नकल प्राप्ति का आवेदन पेश कर नकल दिनांक 02.06.2025 को प्राप्त की जिससे नकल प्राप्ति की दिनांक से उक्त अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 07/2023 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान रीना बनाम विरेन्द्र वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 31.07.2024 निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उचित साक्ष्य ग्रहण कर पुनः निर्णय पारित करें।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि रेस्पो. क्रम 01 जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अनुसार रिकार्डेड खातेदार है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.08.2023 में अंकित किया गया है कि रेस्पो. क्रम 01 रीना पत्नि मुकुटमणि बैरवा निवासी बगली तहसील अटरू के आराजी खाता संख्या 85 खसरा नं. 42 रकबा 0.55 ग्राम व माल महेशपुरा में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नं. 42 रकबा 0.55 पर वीरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण, छीतरलाल पुत्र गणेश, मोहनलाल पुत्र गणेश बाबूलाल, किशनलाल पुत्रान भैरया निवासी मेरमाचाह का कब्जा है तथा मौके पर मेरमाचाह जाने के लिए खेतों तक पहुंचने के लिए पुराना रास्ता है तथा ग्राम महेशपुरा तथा ग्राम पतल्या की काकड़ आपस में मिलती है। इस प्रकार अपीलांटगण के पास वैकल्पिक रास्ता है। रेस्पोडेन्ट एस.सी. महिला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) इस प्रकार के प्रकरणों को निस्तारित किए जाने हेतु समरी ट्रायल प्रक्रिया है जिसमें विद्यमान प्रावधानों के अनुसार सिर्फ पटवारी हल्का रिपोर्ट हीं बेदखली का आदेश किए जाने हेतु पर्याप्त है। अतः अपील अपीलांटगण खारिज की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण के अभिभाषक का कथन है कि उक्त विवादित भूमि रेस्पो. क्रम 01 के खाते में दर्ज है, जो पूर्व में बलराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल के नाम दर्ज थी तथा मूल रूप से उक्त भूमि बलराम को भू–आवंटन के माध्यम से राजस्व रिकार्ड में आई है। उक्त भूमि कांकड़ है जो ग्राम पतल्या व महेशपुरा के बीच का भाग है, जो ग्राम वासियान के आने–जाने के काम व कृषि साधन लाने–ले जाने के काम नियमित रूप से आती रही है। उक्त भूमि पर बलराम का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है तथा आवंटन हुए भी लगभग 25–30 वर्ष हो चुके है तथा आवंटी के द्वारा अपीलांटगण को बेदखल करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:46:41 IST
Reason: SelfAttested

के लिए कोई वाद या कार्यवाही पूर्व में कभी नहीं की गई है। उक्त भूमि के पास अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि स्थित है जिस पर होकर वह अपने कृषि साधन व आने–जाने के काम आती है। उक्त भूमि पर पूर्व खातेदार बलराम का कभी कब्जा नहीं रहा है। बलराम के द्वारा उक्त भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2019 को रेस्पो. क्रम 01 के नाम हस्तांतरण की गई है। अपीलांट क्रम 04 की मृत्यु दिनांक 11.06.2021 को हो चुकी थी, परंतु रेस्पो. क्रम 01 द्वारा जो कार्यवाही की गई, वह वर्ष 2021 के बाद दिनांक 16.08.2023 को की गई है तथा उसका निर्णय दिनांक 31.07.2024 को किया गया है। उक्त पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों के अनुसार अपीलांट क्रम 04 उस समय मृत व्यक्ति था, मृत व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित बताकर कैसे निर्णय किया गया।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि रेस्पो. क्रम 01 जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अनुसार रिकार्डेड खातेदार है जिस पर अपीलांटगण को अतिक्रमण किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांटगण को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए पुराना रास्ता है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 07/2023 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान रीना बनाम विरेन्द्र वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 31.07.2024 का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.08.2023 ली गई जिसमें उसके द्वारा अंकित किया गया है कि रेस्पो. क्रम 01 रीना पत्नि मुकुटमणि बैरवा निवासी बगली तहसील अटरू के आराजी खाता संख्या 85 खसरा नं. 42 रकबा 0.55 ग्राम व माल महेशपुरा में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नं. 42 रकबा 0.55 पर वीरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण, छीतरलाल पुत्र गणेश, मोहनलाल पुत्र गणेश बाबूलाल, किशनलाल पुत्रान भैरया निवासी मेरमाचाह का कब्जा है तथा मौके पर मेरमाचाह जाने के लिए खेतों तक पहुंचने के लिए पुराना रास्ता है तथा ग्राम महेशपुरा तथा ग्राम पतल्या की काकड़ आपस में मिलती है। इस प्रकार अपीलांटगण के पास वैकल्पिक रास्ता है। इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में आदेशित किया गया है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 85 के खसरा नं. 42 रकबा 0.55 हेक्टर से अप्रार्थीगण वीरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति राव, छीतरलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा, मोहनलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा व बाबूलाल जाति मेघवाल, किशनलाल पुत्रान भैरया जाति बैरवा निवासी मेरमाचाह को किये गये कब्जे से बेदखल कर सीमाज्ञान कर कब्जा प्रार्थिया को सुपुर्द किया जावें। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलांट क्रम 04 रामबाबू पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी पतल्या तहसील अटरू जिला बारां की मृत्यु दिनांक 11.06.2021 को हो चुकी है, उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। यह कहा जाना अपीलांटगण के अभिभाषक का गलत है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध पारित आदेश में अपीलांट क्रम 04 रामबाबू (मृतक) का नाम अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 07/2023 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान रीना बनाम विरेन्द्र वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 31.07.2024 यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक **31.07.2025** क[illegible] सरे इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:46:41 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ